

प्रेसनोट / सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-250/2022 दिनांक 08.09.2022)

दिनांक- 08.09.2022 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-
अवैध शराब बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध कार्यवाही- (कुल-02)

थाना बरवापट्टी-

थाना बरवापट्टी पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त चन्द्र किशोर पुत्र रविन्द्रनाथ तिवारी साकिन ठकरहा थाना ठकरहां पं० चम्पारण बिहार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 25 शीशी देशी शराब बरामद कर अन्तर्गत मु०अ०सं०-58/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

थाना पटहेरवा-

थाना पटहेरवा पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त मेराज पुत्र बसारत साकिन करमैनी डीह थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर, को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 10 ली० कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु०अ०सं०-353/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(05)

थाना खड्डा पुलिस द्वारा बोलरो वाहन से ले जाये जा रहे तीन राशि गोवंश के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में गोवंशी पशुओं की तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना खड्डा पुलिस द्वारा शिवदत्त छपरा के पास से दिनांक 07.09.22 को 01 नफर अभियुक्त समीम पुत्र फिरोज अंसारी सा० गम्भीरिया खिड़किया थाना कोतवाली पड़रौना जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर मौके से एक बोलेरो वाहन सं०-युपी 52 के 5202 से तीन राशि गोवंशी पशु (बछड़ा) बरामद कर बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 220/22 धारा-3/5ए/8/5बी भादवि 11 पशु क्रूरता अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

समीम पुत्र फिरोज अंसारी सा० गम्भीरिया खिड़किया थाना कोतवाली पड़रौना जनपद कुशीनगर बरामदगी का विवरण:-

03 अदद गोवंशीय पशु(बछड़ा) व 1 अदद बोलेरो सं०-युपी 52 के 5202

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

प्र०नि० श्री दुर्गेश कुमार सिंह थाना खड्डा जनपद कुशीनगर।

उ०नि० मनोज द्विवेदी थाना खड्डा जनपद कुशीनगर।

का० रामनिवास यादव थाना खड्डा जनपद कुशीनगर।



का0 बृजेश यादव थाना खड्डा जनपद कुशीनगर।
का0 देवेन्द्र मोहन यति थाना खड्डा जनपद कुशीनगर।

थाना तरया सुजान पुलिस द्वारा ताला बन्द घरो में रात्रि में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चोरी किये गये सामान (कीमत लगभग 5,20000/- रु0) के साथ 03 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन, श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना तरया सुजान पुलिस द्वारा भिन्न -भिन्न स्थानों से 03 नफर अभियुक्तो 1.धनंजय शाह पुत्र कपिलदेव शाह सा0 फागूछापर थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर, 2.रबल गोड़ पुत्र बहारन गोंड़ सा0 फागूछापर थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर, 3.उमेश वर्मा पुत्र स्व0 पारसनाथ वर्मा निवासी तमकुही रोड सोनारी मोहल्ला वार्ड न0.07 थाना सेवरही जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किये गये माल मशरुका व नगद 17200/ (कीमत करीब 5,20000/- रुपये) की बरामदगी की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध करने का तरीका-

अभियुक्तगणो ने पुछताछ में बताया कि हम लोग पहले दिन मे घूम-घूम कर ताला लगे घरो की रेकी करते हैं, उसके पश्चात उन घरो में रात्रि में ताला तोडकर सारा सामान चोरी कर लेते हैं उसके पश्चात कुछ दिन बाद चोरी किये गये माल को बेच देते है ।

अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0स0 377/2022 धारा 457/380/41/411/414 भा0द0वि0 थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

2. मु0अ0स0 442/2022 धारा 457/380/41/411/414 भा0द0वि0 थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.धनंजय शाह पुत्र कपिलदेव शाह सा0 फागूछापर थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

2. रबल गोड़ पुत्र बहारन गोंड़ सा0 फागूछापर थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

3.उमेश वर्मा पुत्र स्व0 पारसनाथ वर्मा निवासी तमकुही रोड सोनारी मोहल्ला वार्ड न0.07 थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद नीले ट्राली बैग में कपड़े व पीली धातु के जेवरात 05 जोड़ी पायल

2. 01 अदद अँगूठी

3. 04 जोड़ी बिछुआ



4. 02 अदद चैन सभी सफेद धातु के
5. 01 अदद नथिया
6. 03 अदद अंगूठी
7. 03 जोड़ी कान की बाली
8. 03 अदद चैन सभी पीली धातु
9. दो बोरियों में पीली धातु के बर्तन
10. एक अदद स्टील की टंकी
11. 16 अदद पीतल के अलग –अलग बर्तन
12. एक अदद टीवी
13. 15 चांदी के सिक्के
14. एक सोने की अंगूठी टूटी हुई
15. 02 अदद सोने की लॉकेट
16. कुल 17200/ नकद रुपये चोरी
17. (कुल कीमत करीब 5 लाख 20 हजार रुपये)

बरामदगी व गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक राजेन्द्र कुमार सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
2. व0उ0नि0 श्यामलाल निषाद थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 निरंजन कुमार राय थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 4.उ0नि0 विपिन सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 5.हे0का0 राधेश्याम यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
6. हे0का0 राजकुमार राय थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
7. का0 रिषु यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 8.का0 राहुल यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
9. का0 सुनील यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
10. म0का0 रिकू यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा एक टाटा मैजिक वाहन से ले जायी जा रही 03 राशि गोवंश के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जयसवाल के निर्देशन में गोवंशीय पशुओं की तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना तमकुहीराज पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 08.09.2022 को टडवा मोड के पास से एक टाटा मैजिक UP 57 AT 9075 से 03 राशि गोवंशीय पशु 01 राशि गाय, 02 राशि सांड



को क्रूरतापूर्वक लाद कर गोवध हेतु बिहार राज्य की तरफ ले जाते हुए पुलिस द्वारा अभियुक्त इसराफिल शाह पुत्र आबिद शाह सा० नरहवा शुक्ल थाना गोपालपुर जनपद गोपालगंज बिहार को गिरफ्तार कर बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 87/22 धारा- 3/5ए/8/5बी भादवि 11 पशु क्रूरता अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु०अ०सं० 87/22 धारा- 3/5ए/8/5बी भादवि 11 पशु क्रूरता अधिनियम

गिरफ्तार अभियुक्त-

इसराफिल शाह पुत्र आबिद शाह सा० नरहवा शुक्ल थाना गोपालपुर जनपद गोपालगंज बिहार बरामदगी का विवरण-

एक टाटा मैजिक UP 57 AT 9075 से 03 राशि गोवंशीय पशु 1 राशि गाय, 02 राशि सांड बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री अवश्वनी कुमार राय थाना तमकुहीराज कुशीनगर
- 2.उ०नि० सन्तोष कुमार सिंह थाना तमकुहीराज कुशीनगर
- 3.हे०का० अमित कुमार चौधरी थाना तमकुहीराज कुशीनगर
- 4.हे०का० उमेश यादव थाना तमकुहीराज कुशीनगर
- 5.हे०का० राजन चौहान थाना तमकुहीराज कुशीनगर

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 35 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

- 1.मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-0, ई-चालान-21 वाहन।
- 2.107/116 में की गयी कार्यवाही-मु०-57, व्यक्ति-187
- 3.वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी- (कुल-05)
- 4.आबकारी अधि० में की गयी कार्यवाही मु०-02, अभि०-02, बरामदगी- 10 ली० अवैध कच्ची, 25 शीशी देशी शराब।
- 5.जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-42)

सोशल मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर

